

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

PBR/निगरानी/नीमच/भू-रा/2017/2530

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

2017 जिला-नीमच

श्री. खजूरचंद जी. च. शि.
द्वारा आज दि. 03.8.17 को
प्रस्तुत

कलक आम्बेकर
जनसल मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1- ओमकार लाल पुत्र श्री मूलचन्द्र जी
- 2- सुशील कुमार पुत्र श्री मूलचन्द्र जी
निवासीगण-अहीर मोहल्ला बंधाना जिला
नीमच (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

कमलेश पुत्र श्री जानकीलाल सालवी
निवासी-खजूरी मनासा तहसील व जिला
नीमच (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक
20/अ6अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरुद्ध
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

Shah

Shah

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/नीमच/भूरा./2017/2530

जिला नीमच


दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

22-8-2017

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार नीमच द्वारा उक्त आदेशिका से प्रकरण दर्ज कर आवेदकगण को सूचना दिये जाने एवं बन्दोबस्त राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।




अध्यक्ष